रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267288 CG-DL-E-31102025-267288

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] No. 311] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2025

सं. 28/ 2025-26

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.84(ख) में संशोधन।

फा.सं. 01/94/180/032/एएम25/पीसी-4.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संषोधन करते हैं:

2. एचबीपी—2023 के पैरा 4.84(ख) में **संशो**धन निम्नानुसार है:

क्र.सं.		1 6	संशोधित पैरा
1	7.84(ख)		निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के
		अंतर्गत प्रत्येक खेप के आयात की	अंतर्गत प्रत्येक खेप के आयात की तिथि
		तिथि से 120 दिनों के भीतर पूरा	से 120 दिनों के भीतर पूरा करना अपेक्षित

7187 GI/2025 (1)

		होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि सोने,
	दायित्व अवधि सोने, प्लेटिनम और	प्लेटिनम और चाँदी से बने फांइडिंग्स,
	चाँदी से बने फांइडिंग्स, माऊंटिंग्स के	माऊंटिंग्स के आयात और आभूषणों के
		निर्यात तिथि से 180 दिनों की होगी।
	से 180 दिनों की होगी। निर्यात	निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़ाया
	दायित्व अवधि को आगे बढ़ाया जाना	जाना अनुमत नहीं होगा।
	अनुमत नहीं होगा। अग्रिम प्राधिकार	
	पत्र धारक निर्यात पूरा होने के	
	बाद पुनःपूर्ति के रूप में सोना भी	
	आयात कर सकता है।	

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः यह संशोधन प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.84 (ख) को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.36 (क) के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है।

अजय भादू महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)
PUBLIC NOTICE

(Directorate General of Foreign Trade) New Delhi, the 23rd October, 2025 <u>No. 28/2025-26</u>

Subject: - Amendments in Para 4.84 (b) of Handbook of Procedures 2023.

F. No. 01/94/180/032/AM25/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment with immediate effect.

2. The amendments in Para 4.84 (b) of HBP-2023, are as under:

S. No.	Para No.	Existing Para	Amended Para
1	4.84 (b)	within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However, Export Obligation period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery.	consignment against Authorisation. However, Export Obligation period shall be 180 days from the date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and to export of jewellery. No further extension in Export

Effect of this Public Notice: This amendment has been introduced to align the Procedure in Para 4.84(b) of Handbook of Procedures with Para 4.36(a) of Foreign Trade Policy.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.